उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–168/ix-1/(79/2018)/2020
देहरादून दिनांक 25 जून, 2020

अधिसूचना

चूँकि उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड(सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 का मॉडल प्रारूप मोटर यान अधिनियम,1988 (अधिनियम संख्या 59 सन्1988) की धारा 212 की उप धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित अधिसूचना संख्या–294/ix-1/2019(79)/2018, दिनांक 13 जून, 2019 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है उस तारीख, से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, से तीस दिनों की अवधि के अवसान होने से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित किये गये थे,

और चूँकि , राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियॉ 13 जून, 2019 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी,

और चूँकि , उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है,

अतः, अब राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन्1988) की धारा 93, धारा 95 एवं धारा 96 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुऐ निम्नालिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020

संक्षिप्त नाम विस्तार आरै प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ऑन–डिमाण्ड (सूचना प्रौद्योगिकी आधारित) ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 है।

(2) यह नियमावली, सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(3) यह उत्तराखण्ड राज्य में क्रियाशील एग्रीगेटरों पर लागू होगी।

परिभाषाएं

2. इस नियमावली में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–

(1) ''अधिनियम'' से मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) अभिप्रेत है;

(2) ''प्रपत्र'' से इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

(3) के निर्बन्धनों के अनुसार जारी अथवा नवीकृत की गयी कोई ' अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;
'अनुज्ञप्ति'' से किराया या पारिश्रमिक के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित ठेका गाड़ी द्वारा ऑन–डिमाण्ड परिवहन उपलब्ध

करवाने के कारबार में लगने के लिए इस नियमावली के नियम 6 के निर्बन्धनों के अनुसार जारी अथवा नवीकृत की गयी कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(4) ''अनुज्ञापन प्राधिकारी'' से अधिनियम की धारा 68 की उप धारा (1) के अधीन गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण अभिप्रेत है; और

(5) ''एग्रीगेटर'' से ऐसा सेवा प्रदाता या ऑपरेटर अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन विधिमान्य परमिट रखने वाले ठेका गाड़ी के चालक के साथ किसी मोबाइल फोन या वेब एप्लीकेशन के द्वारा या किसी कॉल सेन्टर के माध्यम से या किसी अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा यात्री को जोड़ने के लिए डिजिटल मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है।

एग्रीगेटर का अनुज्ञापन

3. (1) कोई भी व्यक्ति तब तक एग्रीगेटर के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक उसने अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र–2 में जारी की गयी अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त न कर ली हो।

(2) ऐसे विद्यमान यात्रा अभिकर्ताओं को भी, जो फोन या वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से यात्री परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के कारबार में लगे हुये हैं और उत्तराखण्ड मोटरयान नियमवाली, 2011 के नियम 125 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति धारित करते हैं, इस नियमावली के प्रारम्भ से पन्द्रह दिन के भीतर आवेदन करना होगा और इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करनी होगी।

अनुज्ञप्ति देने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन

4. (1) नियम 6 के अधीन अनुज्ञप्ति देने या उसके नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रपत्र–1 में किया जायेगा और उसके साथ नियम 18 में यथा विनिर्दिष्ट फीस और अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में आहरित साढे पांच वर्ष की विधिमान्यता के साथ अनुसूचित बैंक से दस लाख रूपये की बैंक ग.रन्टी होगी।

(2) जहां आवेदक के कारबार के मुख्य स्थान, जिसे इसमें इसके पश्चात् मुख्य कार्यालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के अतिरिक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर शाखा कार्यालय है, वहां ऐसे स्थान भी आवेदन में वर्णित किये जायेंगे:

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी अपने मुख्य कार्यालय, या अनुज्ञप्ति में यथा वर्णित उसकी शाखाओं में से किसी शाखा को परिवर्तित कर सकता है या नयी शाखा खोल सकता है और ऐसे परिवर्तन की सूचना पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को देनी होगी। ऐसे परिवर्तन के आवेदन के साथ नियम 18 में यथा विनिर्दिष्ट फीस होगी।

आवेदन की संवीक्षा

5. अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका नवीकरण करने से पूर्व, निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा, अर्थात्–

(एक) कि आवेदक भारत में लागू विधियों के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत संस्था है ;

(दो) कि आवेदक डिजीटल मध्यवर्ती मार्केट प्लेस है जो आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले भारत की विधियों के अधीन विधिमान्यतः रजिस्ट्रीकृत यान चलाने वाले चालक से यात्रियों को जोड़ने के लिए याचना या प्रार्थना करता है और मध्यवर्ती मार्गदर्शक सिद्धान्तों को सम्मिलित करते हुए अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 21 सन् 2000) के अधीन विहित समस्त लागू विनियमों का पालन करता है;

(तीन) कि आवेदक ग्राहकों और चालकों हेतु एक कॉल सेन्टर दिन की सम्पूर्ण उस अवधि में संचालित रखेगा जिस हेतु उक्त सेवाऐं देने का आशय रखता हो;

(चार) कि आवेदक या तो वेब या फोन एप्लीकेशन आधारित उपभोक्ता सेवा और शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाता है जिसमें शिकायत दूर करने वाले अधिकारी का क्रियाशील दूरभाष संख्या और ई–मेल पता हो;

(पांच) कि आवेदक ने, अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत स्थानीय प्रतिनिधि का नाम, पता और सम्पर्क सूचना संसूचित कर दी है, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी है; और

(छः) कि आवेदक सभी समयों पर कम से कम पचास मोटर कैब के वैयक्तिक परमिट धारकों के साथ लिखित या डिजिटल करार या समझौता ज्ञापन के माध्यम से फ्लीट का संधारण करता है।

अनुज्ञप्ति देने या उसके नवीकरण और उससे सम्बद्ध मामले

6. (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी नियम 4 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर और स्वयं का समाधान होने के पश्चात् कि आवेदक ने नियम 5 की अपेक्षाओं का पालन कर लिया है, नियम 18 में यथा विनिर्दिष्ट फीस के संदाय के पश्चात् प्रपत्र–2 में अनुज्ञप्ति स्वीकृत और जारी कर सकेगा;

परन्तु नवीकरण की दशा में अनुज्ञापन प्राधिकारी स्वयं का समाधान करने के पश्चात् कि अनुज्ञप्तिधारी ने नियम 5 और नियम 8 के अधीन यथा विहित निर्बंधनों और शर्तों का पालन कर लिया है, नियम 18 में यथा विहित फीस के संदाय के पश्चात्, प्रपत्र–2 में अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा :

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा तब तक अस्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक को सुने जाने का अवसर नहीं दिया जाता

है और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा ऐसे अस्वीकृत किये जाने के कारण लेखबद्ध नहीं कर लिए जाते हैं।

(2) आवेदक, साढे चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् किंतु अनुज्ञप्ति के अवसान से कम से कम तीन मास पूर्व किसी भी समय अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए साढे पांच वर्ष की विधिमान्यता के साथ अनुसूचित बैंक से अनुज्ञापन प्राधिकारी के पक्ष में आहरित दस लाख रूपये की नवीकृत बैंक गारंटी के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) यदि अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उप नियम (2) के अधीन विहित समय के अवसान के पश्चात् किया जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी उस समय के भीतर उसे आवेदन करने से निवारित करने वाले कारणों को देखते हुए आवेदन स्वीकार कर सकेगा।

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों का अभिलेख रखेगा और अनुज्ञप्ति के नवीकरण पर विचार करते समय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी शिकायतों को दूर करने की योग्यता का मूल्यांकन करेगा।

अनुज्ञप्ति की अवधि

7. नियम 6 के अधीन जारी की गयी या नवीकृत की गयी अनुज्ञप्ति जारी करने या उसके नवीकरण के दिनांक से पांच वर्ष की समयावधि के लिए विधिमान्य होगी।

अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा अनुपालन किये जाने वाली सामान्य शर्तें

8. (1) अनुज्ञप्तिधारी एग्रीगेटर प्लेटफार्म के द्वारा बुक की गयी ठेका गाड़ी के लिए यह सुनिश्चित करेगा कि वह–

(एक) लिखित या डिजिटल अनुबन्ध के अधीन वचनबद्ध हो जो अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे यान का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए उसे प्राधिकृत करे;

(दो) अधिनियम के उपबंधो के अधीन विधिमान्य रूप से रजिस्ट्रीकृत हो;

(तीन) अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किया गया विधिमान्य ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र धारण करता हो;

(चार) प्रचालन के दिये गये क्षेत्र में चलाने का सुसंगत परमिट धारण करता हो;

(पांच) अधिनियम के उपबंधो के अधीन समय–समय पर यथा

विहित तृतीय पक्षकार के जोखिम को समाविष्ट करने वाला विधिमान्य बीमा धारण करता हो;

(छः) उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन संदेय समस्त कर एवं देयकों का भुगतान कर दिया हो;

(सात) वाणिज्यिक यानों के लिए विहित सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन करता हो;

(आठ) प्राथमिक उपचार पेटिका को सम्मिलित करते हुए अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत लागू मानक सुरक्षा उपस्करों से सुसज्जित हो;

(नौ) समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट उत्सर्जन मानकों को पूरा करता हो और विधिमान्य प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण पत्र रखता हो;

(दस) जब कभी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जाये आपातकालीन सुरक्षा बटन (बटनों) से सुसज्जित हो,

(ग्यारह) भौतिक अवस्थिति को ट्रैक करने की सक्षम युक्ति से सुसज्जित हो और उसमें यात्रा के किराये और समय की सही संगणना करने के लिए दूरी ओर समय की माप करने के लिए सक्षम युक्ति हो, ऐसा उपस्कर यान के स्वामी द्वारा लगाया जायेगा;
परन्तु लोकेशन ट्रैकिंग या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम युक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये विनिर्देशों का पालन करेगी।

(बारह) उसमें उस सीमा तक विज्ञापन नहीं लगाये जायेंगे कि वे यातायात की सुरक्षा के लिए हानिकारक और विघ्नकारक बन जायें और समय–समय पर इस सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के सर्वथा अनुसार हों।

(तेरह) चाईल्ड लॉक, सैन्ट्रल विंडो लॉक का उपयोग यात्री की पूर्व सहमति से ही किया जा सकेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी चालक के लिए यह सुनिश्चित करेगा कि :–

(एक) ऐसा कोई चालक, जो ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के साथ रजिस्टर होना चाहता है, उसके पास समुचित प्रवर्ग की चालन अनुज्ञप्ति हो;

(दो) किसी चालक को ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के साथ रजिस्टर करने की अनुज्ञा देने से पूर्व, और उसके पश्चात् वार्षिक रूप से, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यक्ति के मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड अथवा पेन कार्ड, और परिवार के दो सदस्यों के सम्पर्क ब्यौरे के साथ पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अभिप्राप्त कर उसका पुनर्विलोकन करेगा;

(तीन) ऐसा कोई चालक, जिसे विगत सात वर्ष के भीतर, मादक द्रव्य या एल्कोहल के असर में यान चलाने के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो, या जिसे कपट, लैंगिक अपराध, किसी संज्ञेय अपराध को कारित करने के लिए मोटरयान का उपयोग करने, सम्पत्ति को हानि पहुंचाने से अन्तर्वलित अपराध या चोरी, हिंसा के कार्यों या आतंक के कार्यों को सम्मिलित करते हुए किसी संज्ञेय अपराध के लिए किसी भी समय दोषसिद्ध किया गया हो, उसे अनुज्ञप्तिधारी प्लेटफार्म का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा;

(चार) ऐसा कोई चालक, जो ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के साथ रजिस्टर होने की इच्छा रखता हो उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक का "अपने ग्राहक को जाने" (KYC) आधारित बैंक खाता रखना आवश्यक है;

(पांच) ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले चालक को अपने विवेकाधिकार से ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म पर लाग–इन और लाग–ऑफ करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा और जब तक यान का स्वामी अन्यथा चयन न करें तब तक ऐसे यान को जिसका वह प्रचालन करता है, उसे स्वयं को मल्टीपल ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म पर रजिस्टर करने से निवारित नहीं किया जा सकेगा;

(छः) ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले चालक को घण्टों की किसी न्यूनतम संख्या के लिए यान चलाने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा, किन्तु जब कभी लागू हो सुरक्षित यान चलाने के लिए घण्टों की अधिकतम संख्या के लिए नियमों का अनुसरण किया जायेगा। ग्लोबल

पोजीशनिंग सिस्टम डिवाइस द्वारा चालन घण्टों का मीटरी अभिलेखन सुनिश्चित किया जायेगा; और

(सात) चालक, जब ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का उपयोग कर रहा हो, तब रास्ते में यात्रियों से याचना या उन्हें नहीं बुलायेगा।

(3) प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्तिधारीः–

(एक) अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रभारी अधिकारी के ब्यौरों के साथ प्रक्रिया की रजिस्ट्रीकृत सेवा के लिए पता उपलब्ध करायेगा ;

(दो) अनुज्ञापन प्राधिकारी को तिमाही आधार पर चालकों के पूरे नाम, चालान अनुज्ञप्ति संख्यांक और यान के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक को सम्मिलित करते हुए, ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले चालकों की सूची उपलब्ध करायेगा;

(तीन) यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी वेब या मोबाइल एप्लीकेशन अनुज्ञप्तिधारी ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले चालकों द्वारा संचालित किये जाने वाले यानों की परमिट की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करती है;

(चार) चालक से सम्बन्धित निम्नलिखित अद्यतन अभिलेख करेगा और संरक्षित रखेगा –

(क) फोटो;
(ख) चालन अनुज्ञप्ति का ब्यौरा ;
(ग) बैज का ब्यौरा ;
(घ) निवास का वर्तमान और स्थायी पता ;
(ङ) चालक के बैंक खाते अथवा इलैक्ट्रोनिक हस्तान्तरण के अन्य किसी विधिक प्रकार के ब्यौरे ;
(च) सम्पर्क सूचना ;
(छ) स्व–प्रमाणित मतदाता फोटो पहचान पत्र, पेन कार्ड ; और
(ज) चालक के परिवार के दो रादरयों के सम्पर्क ब्यौरे और पते।

(पांच) चालक के यान से सम्बन्धित निम्नलिखित अद्यतन अभिलेख अभिप्राप्त करेगा और संरक्षित रखेगा –

(क) अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन यथा विहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण

नम्बर प्लेट के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र;

(ख) अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट और जारी किया गया ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र;

(ग) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट या, यथास्थिति, राज्य पर्यटक परमिट को सम्मिलित करते हुए किन्तु उस तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट और जारी किया गया परमिट या कोई अन्य दस्तावेज;

(घ) उप नियम (1) के खण्ड (एक) में यथा निर्दिष्ट लिखित/डिजिटल करार की प्रतिलिपि;

(ङ) अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट तृतीय पक्षकार के जोखिमों को समाविष्ट करने वाली बीमा पालिसी; और

(च) भौतिक अवस्थिति को ट्रैक करने की सक्षम युक्ति लगे होने का प्रमाण पत्र।

(4) यात्री सुरक्षा में अभिवृद्धि करने के लिए, अनुज्ञप्तिधारी –

(एक) यह सुनिश्चित करेगा कि ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म एग्रीगेटर्स वेब या मोबाइल एप्लीकेशन यात्रियों को चालकों से जोड़ती है, यात्रियों के लिए चालक की, अनुज्ञप्ति संख्यांक को सम्मिलित करते हुए, स्पष्ट तस्वीर और यान की तस्वीर या विवरण और ऐसे अन्य ब्यौरे प्रदर्शित करती है जो यात्री को यह सत्यापित करने के लिए अनुज्ञात करती हो कि यान का चालक वही व्यक्ति है जिसके ब्यौरे यात्री ने ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म एग्रीगेटर के माध्यम से प्राप्त किये हैं;

(दो) मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा तंत्र विकसित और सम्मिलित करेगा जो यात्रियों को उनके सुरक्षा नेटवर्क के भीतर न्यूनतम दो व्यक्तियों से उनकी अवस्थिति साझा करने की क्षमता उपलब्ध कराता है।

(तीन) मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसा तंत्र विकसित और सम्मिलित करेगा जो आपातकाल की दशा में यात्रियों को स्थानीय पुलिस से जुड़ने की क्षमता प्रदान करता हो;

(चार) जब कभी मांग की जाये, केन्द्र या राज्य सरकार के

डाटा नेटवर्क को यान चालक और यान की अवस्थिति के डाटा अन्तरण के लिए समर्थ बनायेगा;

(पांच) पुलिस सत्यापन के माध्यम से ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के उपयोग की इच्छा रखने वाले प्रत्येक चालक की आपराधिक पृष्ठभूमि का सत्यापन करेगा;

(छः) वार्षिक आधार पर ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म पर रजिस्ट्रीकृत यान की जानकारी का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या यान राज्य परिवहन विभाग को उपलब्ध जानकारी के साथ सत्यापन करेगा;

(सात) ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के माध्यम से बुक की गई किसी ट्रिप में अन्तर्वलित किसी आपराधिक प्रकृति की किसी घटना की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी विधिपूर्ण अनुरोध पर तुरन्त सुसंगत प्राधिकारियों को सूचित करेगा और उसमें सहयोग करेगा;

(आठ) चालक के ऑन–डिमाण्ड मोबाइल एप्लीकेशन में लगे रहने के दौरान भेद करने या भेदभावपूर्ण आचरण के लिए जीरो टोलरेन्स की नीति अपनायेगा। भेदभावपूर्ण आचरण में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे –

(क) सेवा से इन्कार करना;

(ख) यात्रियों के साथ अनादरसूचक या तंग करने वाली भाषा का उपयोग; या

(ग) लिंग, प्रजाति, जाति, पंथ, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी यात्री को श्रेणीबद्ध करना; और

(नौ) वह चालकों की प्रमाणिकता में सम्यक् तत्परता और आवश्यक सावधानी का प्रयोग करने में विफल रहने या इन नियमों या अनुज्ञप्ति के निर्बंधनों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) किसी यात्री से युक्तियुक्त आरोप अन्तर्विष्ट करने वाले नियमित मेल या इलैक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से प्रस्तुत लिखित शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् कि ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म का उपयोग करने वाले चालक ने भेद करने के लिए नियम 8 के उप नियम(4) के खण्ड (आठ) में यथा निर्दिष्ट जीरो टोलरेन्स की नीति का अतिक्रमण किया है तो चालक को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्वेषण की अवधि के लिए प्लेटफार्म से तुरन्त हटा दिया जायेगा।

(6) कोई चालक किसी अशक्त व्यक्ति को केवल इस कारण से

सेवा देने से इन्कार नहीं करेगा क्योंकि उस व्यक्ति की अशक्तता रूप या अस्वैच्छिक व्यवहार में परिणित होती है जिससे चालक या किसी अन्य व्यक्ति को क्लेश, क्षोभ या असुविधा होती हो।

(7) चालक किसी ऐसे यात्री, जिसे यात्रा के दौरान अचानक हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या अन्य घातक स्थिति उत्पन्न हो जाये, को नजदीकी चिकित्सा व्यवसायी या अस्पताल ले जाकर चिकित्सीय ध्यान प्राप्त करने के लिए समुचित कदम उठायेगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी को उसके चालकों द्वारा ड्रग्स या एल्कोहल के उपयोग पर जीरो टोलरेन्स की नीति लागू होगी और उसकी वेबसाईट के साथ ही प्रक्रियाओं में भी जीरो टोलरेन्स का नोटिस प्रकाशित करना होगा ताकि चालक, जिससे यात्री का सामना हुआ था और जिसके लिए यात्री को संशय है कि वह यात्रा के अनुक्रम के दौरान ड्रग्स या एल्कोहल के असर में था, के बारे में शिकायत की रिपोर्ट करें, और जीरो टोलरेन्स की नीति के किसी अतिक्रमण का अभिकथन करने वाले किसी यात्री की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त चालक की प्लेटफार्म पर पंहुच को तुरन्त अक्रियाशील कर दिया जायेगा। यह अक्रियाशीलता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अन्वेषण की अवधि के दौरान बनी रहेगी।

(9) ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म अनुज्ञापन प्राधिकारी को सूचित करेगा यदि नियन्त्रण या स्वामित्व में कोई परिवर्तन होता है और ऐसे परिवर्तन के पन्द्रह दिनों के भीतर इन नियमों के उपबन्धों के अधीन नई अनुज्ञप्ति की मांग करेगा।

(10) अनुज्ञप्तिधारी किराया पर अपनी नीति प्रकाशित करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किराया दर, प्लेटफार्म एप्लीकेशन के साथ यानों और चालक के रजिस्ट्रीकरण, यानों के स्वामियों और चालकों के साथ किराया साझा करने, यात्रियों की सुरक्षा, शिकायत दूर करने के लिए तंत्र इत्यादि के सन्दर्भ में होगी। उसे इन नीतियों का पूरी बारीकी ओर पारदर्शिता से अनुसरण करना होगा।

(11) किराया और दूरी की गणना के लिए 'एलगारिधम (Algorithms)' की जांच होगी और यथार्थत प्रमाणित होगी। ऐसे साफ्टवेयर की गुणवत्ता की परीक्षा स्टेन्डर्डाइजेशन टेस्टिंग एण्ड क्वालिटी सर्टिफिकेशन (STQC) या इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से प्राधिकृत किसी अन्य संस्था से करायी जायेगी।

(12) अनुज्ञप्तिधारी उसके चालकों के लिए सुरक्षित चालन कौशल, लिंग संवेदनशील यात्री शिष्टाचार को सम्मिलित करते हुए किन्तु जो इस तक ही सीमित नहीं हों; संरचनात्मक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि चालक कलैण्डर वर्ष में कम से कम एक बार ऐसा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम लें। ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्यक् रूप से दस्तावेजी होगा।

(13) अनुज्ञप्तिधारी महिला चालक वाली उतनी संख्या में मोटर कैब जितनी संभाव्य हो, रजिस्टर करने का प्रयास करेगा।

(14) इन नियमों के अधीन जारी की गयी अनुज्ञप्ति ऐप के साथ ही टेलीविजन या प्रिंट विज्ञापनों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा। और

(15) अनुज्ञप्तिधारी या किसी सक्षम न्यायालय या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की गयी समस्त शर्तों और जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।

यात्री द्वारा पालन किये जाने वाली सामान्य शर्तें

9. ठेका गाड़ी में यात्रा या सवारी करते समय यात्री या सवार–

(एक) धूम्रपान और मद्यपान नहीं करेगा;

(दो) चालक और सह–यात्रियों के प्रति सिविल और व्यवस्थित व्यवहार करेगा;

(तीन) ठेका गाड़ी या उसके किसी भाग को जानबूझकर या उपेक्षा से नुकसान नहीं पंहुचायेगा; और

(चार) चालकों को अधिसूचित गति सीमाओं के उपबन्धों के उल्लंघन में यान चलाने के लिए नहीं कहेगा।

पारदर्शिता

10. (1) ऑन–डिमाण्ड परिवहन प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म, की गयी यात्रा की दूरी और समय, युक्ति द्वारा उपदर्शित मीटर के आधार पर, और यात्री द्वारा की गयी यात्रा के लिए संदत्त किये जाने वाले प्रतिफल, यात्री को सूचित करने के लिए एक तंत्र उपलब्ध करायेगा और यात्रा की समाप्ति पर यात्रा के प्रारम्भ और गंतव्य और संदत्त कुल रकम, यदि कोई हो, के विवरण और उस व्यक्ति या संस्था का नाम जिसकी ओर से रसीद जारी की गयी है, का दस्तावेजीकरण करते हुए यात्री को ई–मेल पते या मोबाइल फोन या मोबाइल एप्लीकेशन पर या हार्ड प्रति में इलैक्ट्रोनिक रसीद पारेषित करेगा या पारेषित करवायेगा।

(2) यात्री को या तो वेब द्वारा या मोबाइल ऐप पर या ग्राहक सेवा

दूरभाष नम्बर और ई–मेल पते के माध्यम से, उनकी शिकायतें या यात्रा के दौरान सामने आयी कठिनाईयों को पेश करने लिए सुगम बनायेगा।

अनुज्ञापन प्राधिकारी की अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द करने की शक्ति

11. (1) अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी की, राय है कि –

(एक) अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों यथा वर्णित निबन्धनों और शर्तों में से किसी का पालन करने में विफल रहा है ; या

(दो) अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुपालन में ठेका गाड़ी को अनुरक्षित करने में विफल रहा है;

तो अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए अनुज्ञप्ति को निलम्बित या अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा।

(2) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है, रद्दकरण की तारीख से छः मास की समयावधि के पश्चात्, अनुज्ञापन प्राधिकारी को दूसरी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

(3) उप–नियम (1) के अधीन निलम्बित या रद्द की गयी अनुज्ञप्ति का अनुज्ञप्तिधारक अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा और सेवा को बन्द कर देगा।

बैंक गारन्टी का समपरहण

12. यदि अनुज्ञप्तिधारक इन नियमें में यथा वर्णित शर्तों और निर्बंधनों का पालन करने में विफल रहता है या अनुज्ञप्तिधारी का कोई कर्मचारी यात्रा करने वाले किसी यात्री के साथ कदाचार या अवचार का दोषी पाया जाता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या प्रतिसंहृत या/और दस लाख रूपये की बैंक गारन्टी या अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसके समुचित भाग का समपहरण कर सकेगा।

प्रचालन का क्षेत्र

13. इन नियमों के अधीन चलने वाली ठेका गाड़ी का परिचालन परमिट के अनुसार विधिमान्य मार्ग या क्षेत्र में किया जा सकेगा।

अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना

14. (1) यदि किसी भी समय अनुज्ञप्ति खो जाती है या नष्ट हो जाती है तो धारक उस पुलिस थाने को, जिसकी अधिकारिता के भीतर हानि या नष्ट हुयी हो, रिपोर्ट करेगा और अनुज्ञापन

और अनुज्ञप्ति का अंतरण

प्राधिकारी को लिखित में तथ्यों से अवगत करायेगा और नियम 18 में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए प्रपत्र–3 में आवेदन करेगा।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करेगा जिस पर स्पष्ट रूप से ''दूसरी प्रति'' अंकित होगा।

(3) यदि अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी किये जाने के पश्चात् मूल अनुज्ञप्ति का पता चल जाता है तो उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरन्त अभ्यर्पित किया जायेगा।

(4) इन नियमों के अधीन जारी की गयी या नवीकृत की गयी कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में उसके विधिक वारिस द्वारा किये गये आवेदन पर, अंतरित की जायेगी और अन्य मामलों में अनुज्ञप्ति अन्तरक और अन्तरिती द्वारा इन नियमों के अधीन विहित समस्त शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए नियम 18 में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ अन्तरित की जा सकेगी।

अपील **15.** नियम 6, 11 या 12 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, राज्य परिवहन अपील अधिकरण को अपील दाखिल कर सकेगा।

अपील की प्रक्रिया **16.** (1) नियम 15 के अधीन कोई अपील, अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध आक्षेप के आधार उपदर्शित करते हुए, ज्ञापन के रूप में दो प्रतियों में दााखिल की जायेगी और इसके साथ जो नियम 18 में विनिर्दिष्ट फीस होगी।

(2) राज्य परिवहन अपील अधिकरण पक्षकारों को स्नवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, समुचित आदेश पारित करेगा।

(3) राज्य परिवहन अपील अधिकरण नियम 15 के अधीन दाखिल की गयी अपील का उस तारीख से, जिससे ऐसी अपील दाखिल की गयी थी, नब्बे दिन की समयावधि के भीतर निपटारा करेगा।

अनुज्ञप्ति का **स्वैच्छिक अभ्यर्पण** **17.** अनुज्ञप्तिधारक, उसे जारी की गयी अनुज्ञप्ति को, किसी भी समय उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को, जिसने अनुज्ञप्ति जारी की है, अभ्यर्पण कर सकेगा और ऐसे अभ्यर्पण पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को रद्द करेगा। अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करने से पूर्व, नियम 12 में निर्दिष्ट समस्त देयकों का संदाय करेगा।

फीस

18. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन ऐसी फीस प्रभारित की जायेगी, जैसी कि नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट की गयी है:–

क्र0 सं0	प्रयोजन	धनराशि (रूपयों में)	नियम
1	2	3	4
1	अनुज्ञप्ति देने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन फीस	पांच हजार	4
2	मुख्य कार्यालय के पते में परिवर्तन या नयी शाखा खोलने की अनुज्ञा के लिए	दो हजार पांच सौ	4
3	अनुज्ञप्ति देने या नवीकरण के सम्बन्ध में	एक लाख	6
4	अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	दस हजार	14
5	अनुज्ञप्ति के अन्तरण के लिए	(क) पांच हजार, व्यष्टिक अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में (ख) पन्द्रह हजार, अन्य मामलों में	14
6	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील	दो हजार पांच सौ	15

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

प्रपत्र–1

(नियम 4 देखिये)

उत्तराखण्ड द्वारा ऑन डिमाण्ड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित परिवहनठेका गाड़ी नियमावली, 2020 के अधीन एग्रीगेटर की अनुज्ञप्ति के लिए या उसके नवीकरण के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

मैं, अधोहस्ताक्षरी, उत्तराखण्ड ऑन डिमाण्ड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 के अधीन एग्रीगेटर के रूप में प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति के लिए या उसके नवीकरण के लिए, एतद्द्वारा आवेदन करता हूं –

1 पूरा नाम
2 मुख्य कार्यालय का पता
3 शाखाओं की संख्या और उनके पते
4 (एक) यदि रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है तो संगम ज्ञापन की प्रति के साथ निगमन और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति भी संलग्न करें।
(दो) यदि फर्म है तो फर्म के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें
5 दूरभाष नम्बर, वेब पता और ई–मेल आई डी
6 प्रचालित किये जाने के लिए प्रस्तावित मोटर टैक्सी की संख्या, प्रत्येक के रजिस्ट्रीकरण संख्या और परमिट ब्यौरों को अन्तर्विष्ट करते हुए सूची संलग्न करें
7 जी0पी0एस0 / जी0पी0आर0एस0 सुविधा के ब्यौरे
8 अन्य अवसंरचना के ब्यौरे
9 वित्तीय स्थिति के ब्यौरे
10 संदत्त फीस के ब्यौरे
11 बैंक गारन्टी के माध्यम से प्रतिभूति निक्षेप का विवरण

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गयी जानकारी और इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मैं यह समझता हूं कि यदि किसी भी समय कोई जानकारी गलत पायी जाती है तो मेरे विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही शुरू करने के साथ ही मुझे जारी की गयी अनुज्ञप्ति रद्द करने के दायित्वाधीन होगी। मैंने उत्तराखण्ड ऑन डिमाण्ड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 के उपबन्धों को पढ़ लिया है। मैं उन्हें स्वीकार करता हूं और उक्त नियमों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

स्थान :
दिनांक:

आवेदक / प्राधिकृत
हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

प्रपत्र–2

(नियम 6 देखिये)

श्री / श्रीमती / मैसर्स.....को इन नियमों में अन्तर्विष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उत्तराखण्ड ऑन डिमाण्ड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 के अधीन एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए एतद्द्वारा अनुज्ञप्त किया जाता है –

1 एग्रीगेटर का पूरा नाम
2 मुख्य कार्यालय का पता
3 शाखाओं का पता
4 दूरभाष नम्बर, वेब पता और ई–मेल आई डी
5 मोटर टैक्सी की संख्या (संलग्न सूची के अनुसार)
6 नेटवर्क का ब्यौरा जिसके माध्यम से प्रचालक कार्य करेगा
7 संदत्त फीस का विवरण
8 बैंक गारन्टी का विवरण

अनुज्ञप्तिधारी उत्तराखण्ड ऑन डिमाण्ड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 में अन्तर्विष्ट समस्त शर्तों का पालन करेगा।

यह अनुज्ञप्ति दिनांक .....से.....तक विधिमान्य है।

स्थान :
दिनांक:

राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड

प्रपत्र–3

(नियम 14 देखिये)

अनुज्ञप्ति के खो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना, और दूसरी प्रति के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

मैं .....(एग्रीगेटर का पूरा नाम)

मुख्य कार्यालय का पता.....

एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड ऑन डिमाण्ड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 के अधीन एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए जारी की गयी अनुज्ञप्ति दिनांक.....को निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गई है/नष्ट हो गई है–

.....

2– मैं एतद्द्वारा अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए आवेदन करता हूँ,

3– मैंने विहित फीस ..... रुपये रसीद संख्या ..... दिनांक . ..... द्वारा भुगतान कर दिया है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

प्रपत्र–3

(नियम 14 देखिये)

अनुज्ञप्ति के खो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना, और दूसरी प्रति के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

मैं .....(एग्रीगेटर का पूरा नाम)

मुख्य कार्यालय का पता.....

एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड ऑन डिमाण्ड सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली, 2020 के अधीन एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए जारी की गयी अनुज्ञप्ति दिनांक.....को निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गई है/नष्ट हो गई है–

.....

2– मैं एतद्द्वारा अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए आवेदन करता हूँ,

3– मैंने विहित फीस ..... रुपये रसीद संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा भुगतान कर दिया है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव।